

राजस्थान-सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द

क्रमांक: प.14 () भू-अ./ पी.टी.एस./ 2017/ 2900

दिनांक :-05.10.2017

आदेश

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्र क्रमांक- राम/भू-अ./ई -3/परीक्षा/प-279/2017/10323-355 दिनांक 03.10.2017 द्वारा आवंटित व राजस्थान अधिनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगिता परीक्षा 2015 से चयनित अभ्यर्थियों को परीक्षाधीन प्रशिक्षु पटवारी पद पर नियुक्ति निम्न शर्तों के अध्याधीन दी जाती है:-

(1) राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के नियम 4 (सी.सी.) अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को पटवारी के पद पर 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रोबेशन ट्रेनी के रूप में नियुक्त किया जाता है व नियम 5 के परन्तुक (i) के अनुसार नियत पारिश्रमिक (fixed Remuneration) देय होगा । वर्तमान में नियत पारिश्रमिक रु 8910/- प्रतिमाह है ।

(2) प्रशिक्षण अवधि 9 माह की होगी । प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात् होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर एवं दो वर्ष की प्रोबेशन अवधि सन्तोषजनक पूर्ण होने पर आपको नियमानुसार पटवारी पद की सेवाएं नियमित करने की कार्यवाही की जा सकेगी । यदि कोई प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के पश्चात् होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता है तो उसकी सेवाएं नियमित नहीं की जाएगी ।

(3) उक्त नियुक्तियों माननीय उच्च न्यायालय की एस.बी.सिविल. रिट याचिका संख्या 9454/2017 देवेन्द्रसिंह मेहता बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा इस याचिका के साथ संलग्न अन्य याचिकाओं एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9630/2017 ओमप्रकाश चौधरी व अन्य बनाम राजस्थान राज्य, एस. बी. सिविल.रिट याचिका संख्या 8402/2017 मनीष चौधरी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य , एस. बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8454/2017 श्रवण स्वामी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एस.बी .सिविल रिट याचिका संख्या 8829/2017 ओम प्रकाश खावा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के अध्याधीन रहेगी ।

(4) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रशिक्षणार्थी को इस आशय का अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा कि प्रशिक्षणोपरान्त राज्य सरकार के अधीनस्थ पटवारी के पद पर आपको कम से कम 03 वर्ष की सेवाएं अर्पण करनी होगी अन्यथा आपके प्रशिक्षण पर खर्च की गई समस्त राशि राज्य सरकार को लौटानी होगी ।

(5) इस नियुक्ति के सम्बन्ध में राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम 2005 लागू होगी ।

(6) प्रशिक्षण अवधि में कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

क्र.सं.	नाम प्रशिक्षु पटवारी मय पिता का नाम	गृह जिला	जन्म दिनांक	लिंग	श्रेणी
1	श्री विक्रम सिंह पिता तखत सिंह राठौड़	राजसमन्द	15-Mar-95	M	GEN
2	श्री कैलाश चन्द्र पिता लक्ष्मी लाल पालीवाल	राजसमन्द	01-Jan-96	M	GEN
3	श्री अभिनव पिता राजेन्द्र कुमार शर्मा	राजसमन्द	21-Aug-94	M	GEN
4	श्री कुशल पिता शान्तिलाल सोलंकी	राजसमन्द	15-Jan-95	M	GEN
5	श्री भेरूलाल पिता लस्सीराम गायरी	राजसमन्द	01-Jul-93	M	GEN
6	श्री अनिल कुमार पिता दुर्गा प्रसाद	नागौर	24-Nov-90	M	GEN
7	श्री कीर्तन पिता कान्तिलाल खत्री	राजसमन्द	29-Nov-96	M	sc
8	सुश्री गुड्डी पिता भवरलाल मीना	जयपुर	01-Mar-92	F	GEN
9	श्री विजेन्द्र कुमार पिता पालाराम चाहिल	सीकर	15-Jul-95	M	sc
10	श्रीमती परमा पिता जालूराम	सीकर	17-Feb-94	F	OBC

